झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः– रा0खा0आ0 (शि0) प0 सिंहभूम / **PDS**–93 / 2021– 405

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 12.06.2023

विषयः– **पश्चिमी सिंहभूम से सम्बन्धित परिवाद–पत्र पर आयोग के वाद संख्या–05 / 2023 में दिनांक–30.05.2023 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि श्री बाबूलाल कुंटिया एवं अन्य, ग्राम–कुपुई, प्रखण्ड–चक्रधरपुर, जिला–पश्चिमी सिंहभूम द्वारा जुलाई से दिसम्बर, 2022 तक 89 कार्डधारियों, सितम्बर से दिसम्बर, 2022 तक 61 कार्डधारियों को **NFSA** एवं **PMGKAY** का अनाज तथा जुलाई से दिसम्बर, 2022 तक ग्रीन कार्ड का राशन नहीं मिलने सम्बन्धी परिवाद–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ। आयोग स्तर पर सुनवाई के क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम के पत्रांक–459 (B) / अ0 दिनांक–11.05.2023 से लाभुकों को माह अक्टूबर एवं नवंबर, 2022 का **NFSA** तथा माह सितम्बर एवं नवंबर, 2022 का **PMGKAY** के खाद्यान्न का 1.25 गुणा अनाज वितरण करा दिये जाने की सूचना दी गई। साथ में लाभुकों का प्राप्ति से सम्बन्धित कागजात भी उपलब्ध कराया गया। परन्तु दिनांक–16.05.2023 को सुनवाई के क्रम में परिवादियों द्वारा कहा गया कि अक्टूबर, 2022 का अनाज नहीं दिया गया है एवं नवंबर, 2022 का भी अनाज कुछ ही लाभुकों को दिया गया है। परिवादियों के कथन एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन में विरोधाभाष के सम्बन्ध में पृच्छा करने पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा कहा गया कि अक्टूबर, 2022 एवं नवंबर, 2022 में चावल आया ही नहीं।

चावल नहीं आने के विषय पर मुख्यालय से किए गए पत्राचार की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम के पत्रांक–484 (B) दिनांक–24.05.2023 द्वारा आयोग को उपलब्ध कराया गया।

पत्र के साथ संलग्न **DM, JSFC** के पत्रांक–777 दिनांक–14.10.2022 द्वारा 4000.00 क्वींटल **PHH Rice** एवं 1400.00 क्वींटल **PHH Wheat** का आवंटन देने हेतु **MD, JSFC** को लिखा गया है। उपायुक्त के पत्रांक–32 (B) / आ0 दिनांक–09.01.2023 द्वारा **NFSA** मद में 37451.567 क्वींटल एवं **PMGKAY** मद में 41317.424 क्वींटल खाद्यान्न उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उपायुक्त के पत्र में विगत चार माह के ग्रीन कार्ड के खाद्यान्न का आवंटन भी अप्राप्त रहने का उल्लेख है।

दिनांक–30.05.2023 को वाद संख्या–05 / 2023 में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम के प्रतिवेदन एवं अन्य कागजात त्वरित कार्रवाई हेतु विभागीय सचिव को भेजने का

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261
Website:-www.jharkhandsfc.in

DC

आदेश है। उक्त के आलोक में सम्बन्धित कागजात पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नकः— जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम का
पत्रांक—459 (B)/अ0 दिनांक—11.05.2023 एवं
पत्रांक—484 (B) दिनांक—24.05.2023 अनुलग्नक सहित।

विश्वासभाजन

12/6/23

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Member Secretary new\letters.docx143

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261
Website:-www.jharkhandsfc.in